

राजस्थान सरकार

निदेशालय महिला अधिकारिता

एफ 13 (1) निमअ/SHG/प्रियदर्शिनी/09-1-43685 जयपुर, दिनांक 19/11/09

**प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह विकसित करने हेतु इच्छा  
अभिव्यक्ति**

प्रत्येक जिले में चिन्हित 10 स्वयं सहायता समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूहों के रूप में विकसित करने के कार्य को स्वयं सेवी संगठनों (NGO) के माध्यम से कराने हेतु विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 40196/23.9.09 के संदर्भ में इच्छुक स्वयंसेवी संगठन अब अपने आवेदन संबंधित जिले के उपनिदेशक कार्यालय में दिनांक 27.11.09 को सांय 6.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन स्वयंसेवी संगठनों ने उक्त विज्ञप्ति के क्रम में अपने आवेदन पत्र संबंधित जिलों में पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिये हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

इन स्वयंसेवी संगठनों की पात्रता निम्न होगी-

1. गत तीन वर्ष से लगातार कार्य का अनुभव
2. स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम एवं माइक्रोफाइनेंस का अनुभव
3. क्षमता वर्द्धन, कौशल उन्नयन एवं उद्यम विकास प्रशिक्षण का अनुभव
4. उत्पादन निर्माण एवं विपणन आदि क्षेत्रों में कार्य करने का लंबा अनुभव हो
5. पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम रू 15 लाख का टर्न ओवर

स्वयंसेवी संगठनों को उनके उक्त कार्य के लिए प्रति प्रियदर्शिनी आदर्श SHG के रूप में राशि रू 35000 का भुगतान किया जाएगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट [www.wcd.rajasthan.govt.in](http://www.wcd.rajasthan.govt.in) पर भी उपलब्ध है।



आशुक्त

महिला अधिकारिता  
राजस्थान, जयपुर ११